भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 629

गुरुवार, 07 दिसम्बर, 2023/16 अग्रहायण, 1945 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए की गई पहलें

629 श्री सतीश चंद्र दूबे:

ले. जनरल (डा.) डी.पी. वत्स (रिटा.):

श्रीमती सीमा द्विवेदी:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई पहलों का विस्तृत ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन पहलों के परिणामस्वरूप पर्यटन क्षेत्र को कितना लाभ हुआ है और कौन-कौन सी उपलब्धियां हासिल हुई हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): पर्यटन मंत्रालय ने देश में पर्यटन क्षेत्र के विकास और संवर्धन के लिए पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न योजनाओं/पहलों के तहत अनेक कदम उठाए/उपाय किए हैं जिनका विवरण नीचे दिया गया है:-

i. पर्यटन संबंधी अवसंरचना के विकास का कार्य 'स्वदेश दर्शन', 'तीर्थस्थान जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद) संबंधी राष्ट्रीय मिशन' और 'पर्यटन अवसंरचना विकास हेतु केंद्रीय एजेंसियों को सहायता' योजनाओं के अंतर्गत किया जाता है।

ii. पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटक एवं गंतव्य केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हुए स्थायी और जिम्मेदार गंतव्यों के विकास के उद्देश्य से अपनी स्वदेश दर्शन योजना को स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0) का नया रूप दिया है।

iii. आतिथ्य सहित घरेलू सवंर्धन एवं प्रचार (डीपीपीएच) योजना के अंतर्गत मेलों/महोत्सवों तथा पर्यटन संबंधी समारोहों के आयोजन के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों को वित्तीय सहायता दी गई है।

iv. नागरिकों को अपने देश की यात्रा हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से देखो अपना देश पहल की शुरूआत की गई।

v. अन्य निश उत्पादों के साथ निरोगता पर्यटन, कलीनरी पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, ईको पर्यटन आदि जैसे थीमेटिक पर्यटन का सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाता है ताकि अन्य क्षेत्रों में भी पर्यटन के दायरे का विस्तार किया जा सके।

vi. 167 देशों के नागरिकों के लिए ई-वीजा की पांच उप-श्रेणियों यथा ई-पर्यटक वीजा, ई-बिजनेस वीजा, ई-मेडिकल वीजा, ई-मेडिकल अटेंडेंट वीजा और ई-कॉन्फ्रेंस वीजा की सुविधा मुहैया कराना।

vii. ई-वीजा का और अधिक उदारीकरण किया गया है और वीजा शुल्क में उल्लेखनीय कटौती की गई है।

viii. पर्यटक गंतव्य के रूप में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने के लिए 1,001 रु. से 7,500 रु. प्रति रात्रि के टैरिफ वाले होटल के कमरों पर जीएसटी को घटाकर 12% और 7,501 रु. से अधिक के टैरिफ वाले होटल के कमरों पर जीएसटी को 18% कर दिया गया है।

ix. नागर विमानन मंत्रालय की आरसीएस उड़ान योजना के तहत पर्यटन मंत्रालय ने सहयोग किया है। अद्यतन स्थिति के अनुसार पर्यटक गंतव्यों तक हवाई कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए इनमें से 53 रूटों पर प्रचालन शुरू किया गया है।

x. पर्यटन मंत्रालय अखिल भारतीय अतुल्य भारत पर्यटक सुविधाप्रदाता (आईआईटीएफ) प्रमाणन कार्यक्रम नामक एक डिजिटल पहल चला रहा है जिसका लक्ष्य देश भर में सुप्रशिक्षित एवं पेशेवर व्यावसायिक पर्यटक सुविधाप्रदाताओं/गाइडों का एक समूह तैयार करने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों का सृजन करने के उद्देश्य से एक ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म बनाना है।

xi. बेहतर मानक सेवा मुहैया कराने के लिए श्रम-शक्ति के प्रशिक्षण और उन्नयन के लिए 'सेवाप्रदाताओं हेतु क्षमता निर्माण योजना के तहत कार्यक्रमों का आयोजन।

xii. नेशनल इंटीग्रेटेड डाटाबेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्टी (निधि) प्रौद्योगिक चालित प्रणाली है जिसका लक्ष्य डिजिटलीकरण को सुगम बनाना तथा आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र हेतु व्यवसाय करने की सरलता को बढ़ावा देना है। इस पहल को और अधिक समावेशी बनाने के लिए अर्थात न केवल आवास इकाइयों बल्कि यात्रा एजेंटों, टूर ऑपरेटरों, पर्यटक परिवहन ऑपरेटरों, फूड एंड बेवरेज इकाइयों, ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर्स, सम्मेलन केन्द्रों तथा पर्यटक सुविधाप्रदाताओं को भी इसमें शामिल करने के लिए इसे निधि+ के रूप में उन्नत किया गया है।

भारत में वर्ष 2018 से 2022 की अवधि में घरेलू पर्यटक यात्राओं (डीटीवी) और विदेशी पर्यटक यात्राओं (एफटीवी) का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	**डीटीवी (लाख में)**	**एफटीवी (लाख में)**
2018	18537.9	288.5
2019	23219.8	314.1
2020	6102.2	71.7
2021	6776.3	10.5
2022	17310.1	85.9

स्रोत:राज्य/संघ राज्यक्षेत्र पर्यटन विभाग

****